न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 15/2021, जिला सीकर

1. मुरलीधर पुत्र श्री देवी सहाय जाति पारीक निवासी ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. खुशीराम पुत्र गुट्टाराम जाति जाट निवासी ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर।
2. सुभाष चन्द्र मील पुत्र स्व0 श्री गणपत सिंह जाति जाट निवासी ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सीकर तहसील सीकर जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर सीकर दिनांक 21.1.2021 जिसके तहत नामान्तकरण संख्या 252 दिनांक 9.3.1968 को निरस्त किया गया।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री ज्ञानेश्वर बाढढार
2. रेस्पोडेन्ट नं. 2 स्वंय उपस्थित।
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —03.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 21.01.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

यह कि ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर में भूमि बंजड जोहड खसरा नम्बर 256 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा पुख्ता अवस्थित है, जिसके नया खसरा नम्बर 310 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.59 हैक्टेयर है। इस भूमि का बिना किसी विधिवत आदेश के नियम विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता गणपतसिंह पुत्र गोविन्दराम जाट निवासी कटराथल ने 5 बीघा 4 बिस्वा पुख्ता का तथा अपीलांट मुरलीधर ने 5 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता का नामान्तरकरण अपने नाम से जरिये नामान्तरकरण संख्या0 252 ग्राम कटराथल दिनांक 09.03.1968 के द्वारा तहसीलदार सीकर से भरवा लिया। जिससे व्यथित होकर खुशीराम पुत्र स्व. श्री गुट्टा द्वारा जिला कलक्टर सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 21.01.2021 के द्वारा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सीकर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 09.03.1968 ग्राम कटराथल तहसील सीकर का गुणावगुण के आधार पर पुनर्वालोकन कर पक्षकारों को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया गया।

जिला कलक्टर, सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 21.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट मुरलीधर पुत्र श्री देवी सहाय द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दिनांक 21.01.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. उभयपक्षों की सहमति से स्वीकार किया जाकर प्रमाणित दस्तावेज रेकार्ड पर लिये गये।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि यह कि ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा अपीलान्ट के पूर्वज की खातेदारी में दर्ज थी जो राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 बाडा है जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत 2014 लगायत 2017 में भी दर्ज है। उक्त साबिक खसरा नम्बर 256 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 310 रकबा 1.30 हैक्टेयर बारानी खसरा नम्बर 311 रकबा 0.68 हैक्टेयर खसरा नम्बर 312 रकबा 0.59 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर बने हैं। उपरोक्त भूमि जो साबिक खसरा नम्बर 256 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा से बनी है जो कभी राजस्व रिकार्ड में बंजड जोहड कभी दर्ज नहीं थी बल्कि खातेदारी में बनी बाडे की भूमि थी। तहसीलदार की आज्ञा दिनांक 22.6.1967 की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 252 दिनांक 09.03.1968 को खुला था और नामान्तकरण से रेस्पोडेन्ट खुशीराम को कोई संबंध नहीं था, तथा रेस्पोडेन्ट खुशीसम को अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं था और अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की थी ये सब आपत्तियां अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाई थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड की अनदेखी कर और बिना किसी आधार के उपरोक्त वर्णित भूमि की किस्म बंजड जोहड मानकर जो निर्णय दिया है वो सरासर अवैधानिक है। नामान्तकरण संख्या 252 तहसीलदार जी की आज्ञा दिनांक 22.06.1967 की अनुपालना में भरा गया था और उक्त आज्ञा की कोई अपील भी नहीं हुई है। मात्र रैस्पोडेन्ट के इस कथन से कि दिनांक 22.6.1967 के आदेश को तहसीलदार सीकर द्वारा जारी किया हुआ नहीं है और तहसीलदार ने बंजड जोहड जमीन को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता गणपत सिंह के नाम बंजड जोहड जमीन का गलत रूप से भर दिया। जबकि वास्तविकता में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का यह कथन अधिनस्थ न्यायालय में रिकार्ड के विपरीत था क्योंकि भूमि राजस्व रिकार्ड में बंजड जोहड दर्ज ही नहीं थी और तहसीलदार की आज्ञा दिनांक 22.6.1967 के संबंध में कोई सबूत रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया था जिससे यह साबित हो कि तहसीलदार जी ने आज्ञा पारित नहीं की। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कयासी कथनों के आधार पर निर्णय देने में सरासर गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो अपने निर्णय में सार्वजनिक भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने बाबत जिस राजस्व विभाग के पत्र का हवाला दिया है वह भी प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होतां है। क्योंकि भूमि कभी सार्वजनिक रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं रही है। इसलिये वर्तमान प्रकरण पर उपरोक्त राजस्व विभाग के पत्र का जो हवाला दिया है वो लागू भी नहीं होता है नहीं वर्तमान प्रकरण और नामान्तकरण संख्या 252 में कोई आंवटन का जिक्र है। अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग सें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तर्कों को बिना किसी आधार के मानकर जो निर्णय दिया है गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 21.01.2021 न्यायालय जिला कलक्टर सीकर को निरस्त करते हुये अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 09.03.1968 को बहाल किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट नं. 2 व राजकीय अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता गणपतसिंह विशेष योग्यता रखने वाले देशभक्त सैनिक थे, जिनको केन्द्र सरकार द्वारा कई सैन्य मेडल प्रदान किये हैं लेकिन गणपतसिंह अनपढ साक्षर व्यक्ति थे। जिनका देहान्त दिनांक 15.12.2009 को हो चुका है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खुशीराम के द्वारा अलाटमेन्ट कृषि भूमि में से आधी भूमि 1/2 हडपने के लिए गलत रूप से यह अपील दर्ज करवाई है। अपीलान्ट मुरलीधर अलॉटमेन्ट के समय राजस्थान पुलिस में कार्यरत थे, जो कानूनी रूप से अलॉटमेन्ट के हकदार नहीं थे। सरकारी बंजड जोहड भूमि मात्र 10 बीघा 7 बिस्वा थी, जिसका आंवटन 2 व्यक्तियों के नाम से एक पटल पर हुआ जो कानूनी रूप से गलत था क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुभाष चन्द्र मील के पिता सेना में कार्यरत थे। दूसरा राज्य सरकार के कर्मचारी होने के नाते एक साथ अलॉटमेन्ट गलत साबित है। उस

Scanned by CamScanner

समय अलाटमेन्ट के वास्तविक हकदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुभाष चन्द्र मील के पिता गणपतसिंह थे क्योंकि वे भारतीय सेना में कार्यरत थे, जिनको 1965 के युद्ध में रक्षा मेडल दिया था। अपीलान्ट सन 1968 में राजस्थान पुलिस में कार्यरत था तथा उसी समय सीकर तहसील में श्री रामचन्द्र मील पुत्र गोविन्दराम मील पटवारी के पद पर कार्यरत था। अपीलांट ने रामचन्द्र मील से व तत्कालीन तहसीलदार से सम्पर्क करके 5 बीघा 3 बिस्वा सरकारी बंजड जोहड भूमि का गलत रूप से अपीलांट ने अपने नाम करवा लिया, जो गलत था क्योंकि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पीड़ित पक्षकार है, जिसके नाम से 5 बीघा 3 बिस्वा अलॉटमेन्ट कृषि भूमि अपीलान्ट के नाम से उस वक्त गलत अलाटमेन्ट हुआ, जिसको निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में आंवटन किया जावे। इसलिए अपील अपीलांट शून्य है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट की अपील रिमाण्ड की गई है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पक्षकारान के मध्य विवाद उक्त विवादित भूमि का बिना किसी विधिवत आदेश के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुभाषचन्द्र मील के पिता गणपतसिंह पुत्र गोविन्दराम जाट निवासी कटराथल ने 5 बीघा 4 बिस्वा पुख्ता का तथा अपीलांट मुरलीधर ने 5 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता का नामान्तरकरण अपने नाम से जरिये नामान्तरकरण संख्या0 252 ग्राम कटराथल दिनांक 09.03.1968 के द्वारा तहसीलदार सीकर से भरवा लिया। जिससे व्यथित होकर खुशीराम पुत्र स्व. श्री गुट्टा द्वारा जिला कलक्टर सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 21.01.2021 के द्वारा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सीकर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 09.03.1968 ग्राम कटराथल तहसील सीकर का गुणावगुण के आधार पर पुनर्वालोकन कर पक्षकारों को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हंस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर सीकर दिनांक 21.01.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner